

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-11.01.2024

सेवा में,

निदेशक,

केजरीवाल इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट स्टडीस, नामकुम, राँची।

विषय:- केजरीवाल इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट स्टडीस, नामकुम, राँची शैक्षणिक भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा समर्पित ऑनलाईन प्रस्ताव के आलोक में विषयांकित संबंधित केजरीवाल इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट स्टडीस, नामकुम, राँची शैक्षणिक भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची से कराई गई। उनके द्वारा ज्ञापांक-19 दिनांक-07.01.2024 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

1. प्रत्येक Set-Back Area को किसी भी प्रकार के अवरोध से हर समय पूरी तरह मुक्त रखेंगे।
2. शैक्षणिक भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. शैक्षणिक भवन के अंदर के आंतरिक साज-सज्जा False Ceiling आदि को ISS के अनुरूप एवं अग्निरोधी पेन्ट लगाकर रखे जायेंगे।
4. निर्धारित अंतराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
5. शैक्षणिक भवन की वायरिंग व्यवस्था की जाँच भी ससमय कराई जाय। खासकर False Ceiling के उपर वाले वायरिंग व्यवस्था में होनेवाली किसी टूट-फूट की मरम्मत अविलम्ब करायेंगे।
6. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लेंगे।
7. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. शैक्षणिक भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें शैक्षणिक भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. Smoke Detectors को वैकल्पिक पावर से हमेशा जोड़कर रखा जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में उसका स्वचालन बाधित न हो सके।
13. शैक्षणिक भवन में किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए भवन प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. शैक्षणिक भवन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्ट्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
16. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण दिनांक-31.12.2024 तक के लिये मान्य है।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।